5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED.

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय , ~~सागर~~ ग्वालियर

R-1717-PBR/2010

आशिक कुरैशी पिता नसीर कुरैशी
निवासी प्रताप वार्ड बीना

—आवेदक

22 NOV 2010

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा
उप पंजीयक बीना

—अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन तरफ से आवेदक अतर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

आवेदक माननीय स्टाम्प कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमांक 20/बी/.103/2009–10 पर जो धारा 48 बी के तहत दर्ज किया गया था पर आदेश दिनांक 14.06.2010 जिसकी सूचना दिनांक 7.10.2010 जो दिनांक 20.10.2010 को साधारण डाक से प्राप्त हुई से दुखित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हैं : –

1. यह कि आवेदक के विरूद्ध उक्त आदेश पारित कर उसकी सूचना दिये बिना उसके विरूद्ध दिनांक 7.10.2010 को को 5916148/रूपया की वसूली वावत सूचनापत्र जारी किया हैं जो विधि विपरीत है।
2. यह कि आवेदक के पक्ष में एक मुख्यतारनामा दिनांक 27.05.2008 को 100/रूपया के स्टाम्प पर निष्पादित कर पंजीयन हुआ था, जिसके अनुसार उसे ग्राम इटावा स्थित, असिंचित कृषि भूमि ख.नं. 129/2 रकवा 4.85 हेक्टेयर वावत **एक** वर्ष के लिए **बिना प्रतिफल** मुखत्यारखास नियुक्त किया गया था। आवेदक को विधि का कोई ज्ञान नहीं हैं टंकण भूल से प्रतिफल प्राप्त होना लिखा गया हैं जबकि कोई प्रतिफल राशि मैने नहीं दी न ही प्रतिफल राशि का कोई उल्लेख दस्तावेज में है। **उप पंजीयक महोदय बीना** ने भी दस्तावेज का पंजीयन करते समय इस वात की जांच की थी उन्होने भी अपने प्रष्ठांकन में निष्पादन कर्ता को राशि प्राप्ति वावत कोई उल्लेख नहीं किया हैं यदि कोई प्रतिफल राशि दी गई होती तो उसका उल्लेख अवश्य किया जाता।

लगातार........ 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण 1717/पी.बी.आर/2010 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8–12–2016	यह पुनरीक्षण आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/बी–103/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2010 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दस्तावेज क्रमांक ए–4/12 दिनांक 27.05.2008 के द्वारा मुख्त्यारनामा श्रीमती जशोदाबाई एवं अन्य–3 द्वारा आवेदक आशिक कुरैशी के पक्ष में निष्पादित किया गया है। मुख्त्यारनामा में लेख है कि ग्राम बीना, इटावा पटवारी हल्का नं.51 के खसरा नं.129/2 रकवा 4.852 हैक्टेयर कृषि भूमि जो असिंचित एक फसली है, रोड रास्ता से हटकर है। उक्त कृषि भूमि का श्रीमती जशोदाबाई एवं अन्य–3 द्वारा आवेदक आशिक कुरैशी से रूपया प्राप्त कर लिया है। उक्त दस्तावेज आज दिनांक से एक वर्ष के वैध रहेगा। इस प्रकार प्रतिफल सहित रहने से म0प्र0 अंकसूची–1 के अनुच्छेद–45(ग) के अनुसार हस्तांतरण पत्र (क्रमांक–22) अनुसार बाजारू मूल्य पर मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु है, अतः प्रकरण वसूली हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 48–बी दर्ज कर कार्यवाही कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर द्वारा प्रारंभ की गयी। जिसमें पारित आदेश दिनांक 14.06.2015 से सम्पत्ति का बाजारू मूल्य 71,27,588/–रूपये निर्णीत कर तथा पक्षकार को कमी मुद्रांक शुल्क 5,34,569/–रूपये	

देय है। आवेदक द्वारा पूर्व में 100/–रूपये का मुद्रांक शुल्क चुकाया है, अतः रूपये 5,34,569/–कमी मुद्रांक शुल्क एवं कमी पंजीयन शुल्क 57,069/–रूपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही धारा 40 के अनुसार शास्ति रूपये 100/–भी आवेदक से जमा कराये जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गयी है कि आवेदक के पक्ष में मुख्त्यारनामा दिनांक 27.05.2008 को 100/–रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित कर पंजीयन हुआ था, जिसके अनुसार उसे ग्राम इटावा स्थित असिंचित भूमि खसरा नम्बर 129/2 रकवा 4.85 हैक्टेयर बावत एक वर्ष के लिए बिना प्रतिफल मुख्त्यारखास नियुक्त किया गया था। आवेदक को विधि का कोई ज्ञान नहीं है। टंकण भूल से प्रतिफल प्राप्त होना लिखा गया है जबकि कोई प्रतिफल राशि मैंने नहीं दी है और न ही प्रतिफल राशि का कोई उल्लेख दस्तावेज में है। उप–पंजीयक महोदय, बीना ने भी दस्तावेज का पंजीयन करते समय इस बात की जॉच की थी, उन्होंने भी अपने पृष्ठाकन में निष्पादनकर्त्ता को राशि प्राप्ति बावत् कोई उल्लेख नहीं किया है यदि कोई प्रतिफल राशि की गयी होती तो उसका उल्लेख अवश्य किया जाता। मुख्त्यारनामाखास के आधार पर आवेदक ने भूमि खसरा नं.129/2/1 कुल रकवा 4.85 हैक्टेयर में से रकवा 0.86 हैक्टेयर एक बयनामा दिनांक 23.03.2009 को श्रीमती नीलोफर कुरैशी के पक्ष में निष्पादित किया है, जिस पर बाजारू मूल्य 12,63,500/–रूपये स्टाम्प शुल्क 85,610/–एवं पंजीयन शुल्क 10,258/–रूपये चुकाया गया है। किन्तु

मुख्त्यारखास में टंकण भूल से प्रतिफल दिया जाना लिखा गया है, जब मुख्त्यारकर्त्तागण ने भूल सुधार करते हुए दिनांक 31.03.2010 को नया मुख्त्यारनामा निष्पादित किया। उसमें उक्त भूल का उल्लेख कर लिखा गया कि उस समय भी बिना प्रतिफल मुख्त्यारनामा निष्पादित कर अधिकार दिये गये थे। इस प्रकार इस मुख्त्यारनामा के आते ही पुराना मुख्त्यारनामा स्वतः अप्रभावी हो गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन के सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि वर्तमान प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला सागर द्वारा विधिवत् विचार करने के पश्चात् आदेश पारित किया है, जिसमें आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला सागर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। आवेदक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका की

अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30.04.2010 को सूचना पत्र दिये जाने का आदेश दिया गया है। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 03.06.2010 नियत की गयी थी। उक्त दिनांक को साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित कर लिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश साक्ष्य पर आधारित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा प्रकरण में मुख्त्यारनामा दिनांक 27.05.2008 संलग्न है, जिसमें प्रतिफल दिया जाने का उल्लेख है किन्तु बाद में नया मुख्त्यारनामा दिनांक 31.08.09 निष्पादित कर पूर्व मुख्त्यारनामा को अप्रभावी किया गया है। जिसमें पूर्व टंकण भूल का उल्लेख किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि टंकण त्रुटि से उक्त उल्लेख हुआ है जिसे बाद के मुख्त्यारनामें में ठीक कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, त्रुटि पूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/बी–103/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2010 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है, पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर विक्रय पत्र में दर्शाया गया मूल्य मान्य किया जाता है।

सदस्य